

अचल कार्यालय, जामा । (दुमका)

पत्रांक.....३३...../रा०

प्रेषक:-

अंचल अधिकारी
जामा ।

सेवा में,

अपर समाहर्ता
दुमका ।

जामा, दिनांक.....22/02/19.....

विषय:-

दुमका जसीडीह 220 के०भी० संचरण लाईन हेतु जामा अंचल के मौजा-भटनियां के चिन्हित भूमि को हाल सर्वे खतियान के अनुसार सत्यापन कर जमीन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:-

भवदीय ज्ञापांक-266/रा० दिनांक-13.02.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से मौजा भटनियां का स्थलीय जांच करायी गयी । हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित है कि मौजा-भटनियां कार्यरत ग्राम प्रधान एवं 16 आना रैयतों की उपस्थिति में जांच किया । कचहरी भवन में उपलब्ध खतियान (R.S) से मिलान करने पर जमाबन्दी सं० 21 हाल दाग नं० 301 कुल रकवा 0.41 एकड़ किस्म बाड़ी दो दखल फलानी मांझी जमाबन्दी सं० 16 हाल दाग नं०-910 कुल रकवा 0.24 एकड़ किस्म धानी दो संयुक्त एवं अनावादी खाता नं० 52 हाल के दाग नं०-401 एवं 909 क्रमशः रकवा 0.94 एकड़ एवं 0.17 एकड़ किस्म पुरानी परती बोलकर (R.S) खतियान में दर्ज है ।

हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित है कि दाग नं० 301 एवं 910 रैयती भूमि है एवं दाग नं०-401 एवं 909 गैरमजरूआ खास भूमि है, किस्म पुरानी परती दर्ज है । दाग नं० 301, 910, 401 एवं 909 पर दुमका जसीडीह 220 के०भी० संचरण लाईन हेतु भूमि को चिन्हित किया गया है । ग्राम सभा में उपस्थिति 16 आना रैयतों को इस संबंध में बताया गया एवं सभी रैयती (ग्रामीणों) से सहमति दिया एवं किसी प्रकार का आपत्ति नहीं किया गया । 16 आना ग्रामीणों का सहमति ग्राम सभा मूल प्रति इसके साथ संलग्न है । अमीन द्वारा समर्पित नक्सा संलग्न । R.S खतियान की छाया प्रति संलग्न ।

अतः अग्रेतर कार्रवाई हेतु जांच प्रतिवेदन सादर समर्पित ।

विश्वासभाजन

(Signature) 22/2/19
अंचल अधिकारी,
जामा ।
22/2/19

आज दिनांक 23/2/019 को मईका भटनियान में ग्राम प्रधान श्री सुधीर प्रसाद झांझ की अध्यक्षता में दुमका गांव में 220 कुं भी० संचरण लावन कार्य हेतु दुमका विधान सभा क्षेत्र के अर्थात् खेती खेती भूमि और परती भूमि का आनापति हेतु बैठक की गई जिसमें निम्नलिखित कामीना उपस्थित हुए:-

अमरसिंह दागम - सुभाषी 21
216 9/10 एवं 301 में हमारे से बड़े काफ़ी नहीं है

सुधीर प्रसाद झांझ
ग्राम प्रधान भटनियान
बीजा नं०-47
ग्राम प्रधान भटनियान

1) रामसिंह झांझ

2) बंगल झांझ

3) मोहन झांझ

4) मोहन झांझ

5) कलानि झांझ

6) कलानि झांझ

7) जोती देवी झांझ

8) विद्या देवी

9) पार्वती देवी 20 बिन नान्द झांझ

10) सिमरी देवी
कलानि झांझ
मदारी नदी

12

मनोज कुमार मिश्रा

13) पदमेश्वर देवी

14) बालेश्वर झांझ

15) सिमरी देवी

16) सतीश झांझ

17) जितेंद्र झांझ

18) राजमसरी

19) बोलन राम झांझ

21

राम कलानि झांझ

प्रस्ताव सं. 01 - धारा के नाम से मौजा भरनिया के

खंडित करार के अनुसार की सं. 52 दागन 909
कुल खेती 0.17 एड्ड किछ पुरानी पत्ती एवं
असखदी सं. 21 दागन 301 एवं असखदी
सं. 16 RS दागन 910 कुल खेती की
कोई बाड़ी की क उपयोग हेतु
के बारे में बताया गया।

प्रस्ताव सं. 2 - उक्त खंड में सर्व सहमति से यह
निर्णय लिया गया कि दुमका तसीदीह
220 के 0 भी 0 संचरण लखन हेतु मौजा
भरनिया के अनुसार की सं. 52 दागन
401 एवं 909 अमम! खेती 0.94 एड्ड,
0.17 एड्ड किछ पुरानी पत्ती है जिसका
उपयोग दुमका तसीदीह 220 के 0 भी 0 संचरण
लखन हेतु किया गया है। चूंकि यह मामला
विवाद का है एवं लोक हित है जुड़ा है
कि उक्त मौजा के उक्त दाग 10 पर आधारी
रैतों को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।
जाम रीत से सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है साज
रिग द्वारा रूप पर सहमति व्यक्त की जाती है।

उक्त खंड के अंत में साज रीत के
वे अन्यवाद आपन के साथ साज रीत के करवाई समाप्त
की गई।

प्रस्ताव सं. 01
श्री 01
जामा

शुशीद प्रसाद मंत्री -
बीजा नं. 47
ग्राम प्रधान भरनिया

सर्वीसवीजन हुमका

मौजा - भटनिया नं० 47

सरदारी सर्किल - जारा

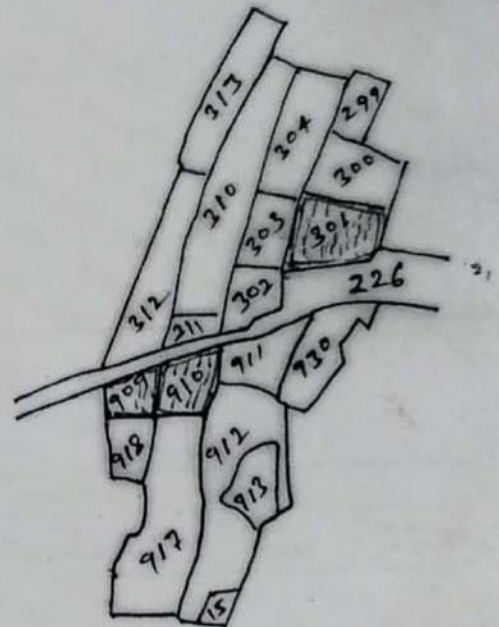
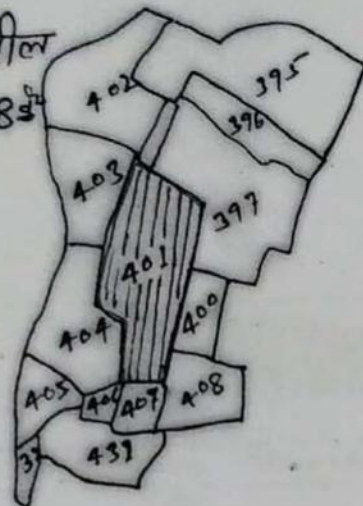
अंचल - जामा

जिला - हुमका

स्केल - 16" = 1 मील

सन - 1977-78

सकल -
■ भूमि को लाल रंग से दर्शा
गया है



खता नं०	खान नं०	कुल रकबा	कृषि	चौकड़ी
16	910	0.24	धानी दो	उ० रास्ता
52	401	0.94	पुरानी परती	द० प्र० परती 917
52	909	0.17	" "	उ० खान नं० 307
				द० खान नं० 300
				उ० रास्ता
21	301	0.41	बाड़ी दो	द० खान नं० 918
				उ० खान नं० 300
				द० रास्ता

जिलाधिकारी
अंचल जामा
जामा

खान नं० 08

अंचल जामा
जामा